



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 19, मंगलवार, शाके 1946-सितम्बर 10, 2024

Bhadra 19, Tuesday, Saka 1946 September 10, 2024

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आजायें।

प्रपत्र - 9

(धारा - 19 - भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम, 2013 के अंतर्गत घोषणा और सार)

(नियम 21 के उपनियम-(1) देखें)

(राजस्थान सरकार)

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

घोषणा

करौली, अगस्त 22, 2024

संख्या 9861537 :-चूंकि राजस्थान सरकार को प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोटा मथुरा रोड रलवे समपार एल सी 199 पर आरओबी निर्माण कार्य के लिए आवश्यक है।

अतः घोषणा की जाती है कि मानक माप के अनुसार 3.6527 हैक्टर भूमि के खण्डों का उपरोक्त परियोजना के लिए ग्राम हिण्डौन ए.बी.सी.डी. तहसील हिण्डौन जिला करौली कि भूमि का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु अधिग्रहण किया जाना है। जिसका विस्तार से विवरण संलग्न सूची के अनुसार है।

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के खण्डों का विस्तार से विवरण निम्नानुसार है:-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	कुल खसरा	क्षेत्रफल है० में मानक माप
1	2	3	4	5
करौली	हिण्डौन	हिण्डौन ए.बी.सी.डी.	45	3.6527
		योग	45	3.6527

यह घोषणा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता की धारा 15 के प्रावधानों के तहत भूमि में रुचि रखने वाले सभी लोगों को उक्त भूमि के अधिग्रहण के लिए आपत्तियों को सुनने के बाद व सरकार के द्वारा अनुमोदित करने के उपरांत की गई है।

भू-अर्जन के कारण पुनर्वास होने वाले परिवारों की संख्या शून्य है।

कोयला, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खदानों के उपरोक्त भूमि या उपरोक्त भूमि के किसी विशेष हिस्से, जिसकी खानों और खनिज जिनका खोदा जाना आवश्यक हो सकता है, के ऐसे भागों को छोड़कर / निकालकर परियोजना के निर्माण चरण के दौरान भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसी जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भूमि अधिग्रहण अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर किया जा सकता है।

प्रस्तावित भू-अर्जन में किसी भी प्रभावित व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

अथवा

उक्त परियोजना के लिए अनुमोदित पुनर्वास योजना के अनुसार प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित किसी भी व्यक्तियों का पुनर्वासित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। पुनर्वास योजना रिपोर्ट का अवलोकन भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के कार्यालय में किया जा सकता है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

स्थान:- हिण्डौन

भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखंड

अधिकारी हिण्डौन, जिला करौली

भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत ग्राम हिण्डौन ए.बी.सी.डी., तहसील हिण्डौन जिला करौली की अर्जित की जा रही भूमि का विवरण :-

:- अनुसूची :-

क्र सं	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	कि स्म भूमि	कुल रकबा है.	अवाप्त किये जाने वाला क्षेत्रफल है.	प्रभावित व्यक्ति का नाम/पता	सीमाएँ				वृक्ष	संरचना	वि वर्ण		
							पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						1) उगन्ती पुत्री									

रामभरोसी

हिस्सा- 1/40

जाति- जाटव

सा. ग्राम

खातेदार

2) प्रकाश पुत्र

चोथी हिस्सा-

1/144 जाति-

जाटव सा.

ग्राम खातेदार

3) बल्लोबाई

पत्नि स्व.

भंवरलाल

हिस्सा- 1/112

जाति- जाटव

सा. ग्राम

खातेदार

4) बाबूलाल

पुत्र सरमन

हिस्सा- 1/9

जाति- जाटव

नि.ग्राम

खातेदार

5) बीना पुत्री

भंवरलाल

हिस्सा- 1/112

जाति- जाटव

सा. ग्राम

खातेदार

6) भरतलाल

पुत्र रामधन

हिस्सा- 1/12

जाति- जाटव

सा. ग्राम

खातेदार

7) मुन्नालाल

पुत्र रामभरोसी

हिस्सा- 1/40

जाति- जाटव

सा. ग्राम

खातेदार

8) मनीराम

पुत्र भंवरलाल

हिस्सा- 1/112

जाति- जाटव

सा. ग्राम

खातेदार

9) ममदेश

पुत्री भदई

हिस्सा- 1/96

जाति- जाटव

सा. ग्राम

खातेदार

10) महेशचन्द

पुत्र भंवरलाल

हिस्सा- 1/112

जाति- जाटव

सा. ग्राम

खातेदार

11) मानसिंह

पुत्र रामधन

हिस्सा- 1/12

जाति- जाटव

सा. ग्राम

खातेदार

12) कमलेश

पुत्री रामलाल

हिस्सा- 1/120

जाति- जाटव

सा. ग्राम

खातेदार

13) मीरा पुत्री

रामलाल

हिस्सा- 1/120

जाति- जाटव

सा. ग्राम

खातेदार

14) मोहनदास

पुत्र भंवरलाल

हिस्सा- 1/112

जाति- जाटव

सा. ग्राम

खातेदार

15) मोहनलाल

1 च
बूत
रा
1
झो
प
डी15X
15
फीटC
M
KC
M
K